शैक्षणिक परिषद की दिनांक 26 अक्तूबर 2015 को बराद सदन शैक्षणिक खंड,

गंगटोक में आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे:

1. प्रो. टी बी सुब्बा, - अध्यक्ष
   कुलपति
2. प्रो. एस पी एस राजपूत, - सदस्य
   यान्त्रिकी इंजीनियरी विभाग
   एमएएनआईटी, भोपाल
3. प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव, - सदस्य
   अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विभाग
   निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
4. डॉ. शांतनु डे, - सदस्य
   इतिहास विभाग
   रामकृष्ण मिशन विश्वविद्यालय
   बेलुर मठ, हावड़ा, प.बंगाल
5. प्रो. संजय राय, - सदस्य
   समाजशास्त्र विभाग
   उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय
6. डॉ. (श्रीमती) लिली आले, - सदस्य
   प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, गंगटोक
7. डॉ. एन आर भुईया, - सदस्य
   प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान,
   माझीटार
8. प्रो. ज्योति प्रकाश तामंग, - सदस्य
   डीन, जीव विज्ञान स्कूल
9. प्रो. समीरा मैती, - सदस्य
   डीन, मानव विज्ञान स्कूल
10. प्रो. इरशाद गुलाम अहमद - सदस्य
    डीन, भाषाएँ एवं साहित्य का स्कूल
11. डॉ. देवाशिष चौधुरी, - सदस्य
    परीक्षा नियंत्रक
    सिक्किम विश्वविद्यालय
12. प्रो. प्रताप चन्द्र प्रधान, - सदस्य
    नेपाली विभाग
13. डॉ. धनीराज छेत्री, - सदस्य
    डीन, छात्र कल्याण
14. डॉ. नवल के पासवान, - सदस्य
    प्रमुख, शांति एवं शंघर्ष आध्यान तथा
    प्रबंधन विभाग

15. डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, - सदस्य
प्रमुख, भौतिकी विभाग

16. डॉ. ए एन शंकर, - सदस्य
प्रमुख, वाणिज्य विभाग

17. डॉ. वी कृष्णा अनंत, - सदस्य
प्रमुख, इतिहास विभाग

18. डॉ. एन सत्यनारायण, - सदस्य
प्रमुख, वनस्पतिशास्त्र विभाग

19. डॉ. एच के तिवारी, - सदस्य
प्रमुख, माइक्रोबायोलॉजी विभाग

20. डॉ. मनीष, - सदस्य
प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग

21. डॉ. कविता लामा, - सदस्य
प्रमुख, नेपाली विभाग

22. डॉ. एस मणिवन्नान, - सदस्य
प्रमुख, होर्टीकल्चर विभाग

23. डॉ. मनेश चौबे, - सदस्य
प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग

24. डॉ. वी रामा देवी, - सदस्य
प्रमुख, प्रबंधन विभाग

25. डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री, - सदस्य
प्रमुख, राजनीतिशास्त्र विभाग

26. डॉ. स्वाती अक्षय सचदेवा - सदस्य
प्रमुख, मनोविज्ञान विभाग

27. डॉ. कोत्रा राइने रामा मोहन, - सदस्य
प्रमुख, एंथरोंपोलोजी विभाग

28. डॉ. नूतनकुमार एस थिंगुजाम, - सदस्य
प्रमुख, मनोविज्ञान विभाग

29. डॉ. शीलाजीत गुहा, - सदस्य
प्रमुख, जन संचार विभाग

30. डॉ. कमल सिंघा, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर

31. डॉ. पुष्पा शर्मा, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर

32. डॉ. एस एस महापात्र, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर

33. डॉ. लक्ष्मण शर्मा, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर

34. श्री पी के सिंह, वित्त अधिकारी - विशेष आमंत्रित

35. श्री टी के कौल, रजिस्ट्रार - सचिव

निम्नलिखित सदस्यगण अपनी पूर्व-कार्यव्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके तथा अनुपस्थिति हेतु छुट्टी की याचना की:

1. प्रो. कामाख्या प्रसाद, टी एन बी महाविद्यालय, भागलपुर
2. प्रो. टंकनाथ शर्मा खातिवाड़ा, प्रेसीडेंसी कॉलेज, मोटबुंग
3. प्रो. टी के नायक, पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय, शिलोंग
4. प्रो. ए एस चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष

डॉ. एस के गुरुङ, उप रजिस्ट्रार एवं श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद के सहायार्थ उपस्थित थे।

आरंभ में अध्यक्ष ने परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने विशेषकर प्रो. एस पी एस राजपूत, प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ. शांतनु दे का परिषद के नए सदस्यों के रूप में स्वागत किया। तत्पश्चात, कार्यसूची मदों पर निम्नानुसार चर्चा हुई:

भाग 1
कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट का पुष्टीकरण

एसी18.1.1: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 25 मई 2015 को आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

शैक्षणिक परिषद के दिनांक 25 मई 2015 को आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त को सभी सदस्यों के बीच दिनांक 15 जून 2015 (ई-मेल द्वारा) तथा दिनांक 22 जुलाई 2015 (हार्ड प्रतियाँ) द्वारा प्रचालित किया गया था। चार सदस्यों ने कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणियाँ दी थी जिनपर निम्नानुसार चर्चा की गई:

1. **एसी17.3.5: हिमालयन फार्मेसी संस्थान में पीएचडी प्रोग्राम की प्रस्तावना**

   डॉ. वी कृष्णा अनंत ने इस मद के अंतर्गत दर्ज कार्यवृत्त पर असहमति व्यक्त की थी। विचार विमर्श के पश्चात परिषद का मत था कि गत बैठक में सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय लिया गया था कि उन सम्बद्ध संस्थानों में जहां मास्टर्स प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं, विश्वविद्यालय पीएचडी प्रोग्राम आरंभ करने की अनुमति दिये जाने पर विचार कर सकता है। ऐसे में कार्यवृत्त का प्रथम अंश सही था। तथापि, कार्यवृत्त का द्वितीय अंश, अर्थात "परिषद द्वारा एक समिति भी गठित की गई जो कि एचपीआई में अगले शैक्षणिक वर्ष से इस परिवर्तन को प्रभावी करने के रीति एवं ढंग का सुझाव देगी"- वापस लिया गया।

2. **एसी17.3.12: प्लेज्यरिज़्म समिति की रिपोर्ट**

   डॉ. वी कृष्णा अनंत ने इस मद के अंतर्गत दर्ज कार्यवृत्त पर असहमति व्यक्त की थी। इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:

   इसमें सिर्फ एक मानक सॉफ्टवेयर होगा जिसमें एमफिल एवं पीएचडी शोधप्रबंधों को प्लेज्यरिज़्म जांच में डाला जाएगा। इस जांच का क्रियान्वयन पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा तथा इससे संबन्धित एक

प्रमाण पत्र छात्र द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं पर्यवेक्षक द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। जांच प्रक्रिया में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाएगा:

i) उद्धृत वाक्य

ii) बिबलिओग्राफिक उद्धहरण

iii) शब्दों के गौण सामीप्य

iv) चित्र एवं सारणियाँ

आदर्शतः एमफिल एवं पीएचडी शोधप्रबंधों में प्लेज्यरिज़्म के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। तथापि, 20% तक की समानता (ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त) स्वीकार की जा सकती है। 20% से अधिक की समानता के मामले में, विभागीय अनुसंधान समिति मामले पर विचार करे तथा अपनी अनुशंसाएँ दे।

प्लेज्यरिज़्म हेतु मानक सॉफ्टवेयर को पर्यवेक्षकों के कम्प्यूटरों पर लोड किया जाये तथा एक अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालित किया जाये ताकि विश्वविद्यालय में जहांतक कि प्लेज्यरिज़्म जांच के अनुप्रयोग का संबंध है स्पष्टता एवं समरूपता रहे।

3. यूजी एवं पीजी प्रैक्टिकल परीक्षाओं एवं मनोविज्ञान में पीजी शोधपत्र के संचालन हेतु बाह्य परीक्षकों के पैनल का अनुमोदन तथा मद **एसी17.4.7** के अंतर्गत इसका समावेशन परिषद द्वारा स्वीकार किया गया।

4. कार्यवृत्त के **परिशिष्ठ 3 के अंतर्गत खंड 2(एफ) के प्रति संशोधन**। परिषद **परिशिष्ठ 3** के खंड 2(एफ) के निम्नानुसार संशोधन के प्रति सहमत हुआ:
"जहां तक कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संबंध है यह संबन्धित शास्त्रों के मानदंड के अनुरूप होगा"

5. मद सं. **एसी17.3.3** के अंतर्गत डॉ. ए एन शंकर द्वारा एक सुझाव था कि अमर्त्य सेन चेयर अर्थशास्त्र विभाग के स्थान पर वाणिज्य विभाग के विरुद्ध दर्शाया जाना चाहिए क्योंकि सूक्ष्म वित्त एवं अन्य ग्रामीण विकास के विषयों को वाणिज्य विभाग में भी पढ़ा जाता है। अमर्त्य सेन चेयर को अर्थशास्त्र, प्रबंधन एवं वाणिज्य विभाग में आवंटित किए जाने की सहमति बनी।

ऊपर वर्णित परिवर्तनों के साथ, शैक्षणिक परिषद की दिनांक 25 मई 2015 को आयोजित एवं सभी सदस्यों के बीच यथापरिचालित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई।

एसी18.1.2: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 25 मई 2015 को आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

परिषद की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई को नोट किया।

भाग 2

रिपोर्टिंग मदें

शून्य

भाग 3

संपुष्टि हेतु मामले

एसी18.3.1: सिक्किम विश्वविद्यालय एवं एचआर डीडी, सिक्किम सरकार के बीच अनुबंध

अध्यक्ष ने उन परिस्थितियों का विस्तृत विवरण दिया जिसकी परिणति सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग स्थित शैक्षणिक वर्ष 2015-2016 से भौतिकी (15सीटें), गणित (15सीटें), अर्थशास्त्र (20सीटें), अंग्रेजी (20 सीटें) एवं इतिहास (20सीटें) में पीजी पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय विस्तार-केंद्र को परिचालित तथा सिक्किम विश्वविद्यालय एवं एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के बीच एक अनुबंध हस्ताक्षरित करने में हुई।

परिषद ने विचार विमर्श के बाद विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2015 को विश्वविद्यालय एवं एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के बीच एक अनुबंध (**अनुलग्नक-1**) हस्ताक्षरित करने की कार्रवाई की संपुष्टि की। शैक्षणिक परिषद ने आगे सलाह दी कि विस्तार-केंद्र को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर का दृढ़ता के साथ अनुसरण करना चाहिए।

एसी18.3.2: चयन समितियों में विशेषज्ञ

परिषद को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19 सितंबर 2015 से 09 अक्तूबर 2015 तक विभिन्न संकाय पदों के लिए अन्तर्वार्ता का संचालन किया गया। कुलपति ने चयन समितियों के प्रति सांविधि 18 के खंड (2) के अंतर्गत विभिन्न विभागों से पूर्व में प्राप्त एवं शैक्षणिक परिषद तथा कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित पैनल में से विशेषज्ञ नामित किया।

परिषद ने कुलपति द्वारा सांविधि 18 के खंड (2) के अंतर्गत प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए चयन समितियों के प्रति विशेषज्ञ नामित किए जाने की कार्रवाई की संपुष्टि की। तथापि, यह सुझाव दिया गया कि सभी विभागों से अगले तीन वर्षों के लिए कम से कम 10 विशेषज्ञों का एक नया पैनल प्राप्त किया जाये परंतु पैनल से विशेषज्ञों को जहांतक संभव हो प्रत्येक बार चयन समिति गठित किए जाने के दौरान परिवर्तित किया जाये ताकि निहित स्वार्थ उत्पन्न न हो सके।

भाग 4

विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु मामले

एसी18.4.1: एमफिल प्रोग्राम हटाया जाना

इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। विस्तृत विचार विमर्श के बाद कुछ और समय तक वर्तमान प्रणाली की निरंतरता एवं एमफिल से संबन्धित मामले को संबन्धित विभागों पर छोड़ने का निर्णय लिया गया।

एसी18.4.2: रिक्त संकाय पदों के लिए गैर-विशेषज्ञता

परिषद को XIवीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत पदों में प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर रिक्त संकाय पदों की बृहत संख्या के बारे में सूचित किया। चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि XI योजना संकाय पदों के भरे जाने तक विज्ञापनों में संकाय पदों के लिए कोई विशेषज्ञता नहीं होगी।

एसी18.4.3: शैक्षणिक परिषद में पूर्व-छात्र का समावेशन

परिषद ने सांविधि 13 के खंड (1) के प्रति उप-खंड (xii) के बाद उप-खंड (xiii) को सन्निविष्ट करके निम्नलिखित संशोधन की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदन हेतु अनुशंसा की:

शैक्षणिक परिषद के नॉमिनी

शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित किए गए विश्वविद्यालय के तीन पूर्व-छात्र।

एसी18.4.4: जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की मान्यता

परिषद को सूचित किया गया कि जामिया उर्दू अलीगढ़, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान ने निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दिये जाने का अनुरोध किया गया है:

1. "अदीब" जो कि हाई स्कूल के समतुल्य है।
2. "अदीब-ए-माहिर" जो कि इंटरमिडिएट के समतुल्य है।
3. "अदीब-ए-कामिल" जो कि बाइचलर इन आर्ट्स के समतुल्य है।
4. "मोआल्लिम-ए-उर्दू" जो कि बाइचलर इन एडुकेशन के समतुल्य है।

इस विषय को शैक्षणिक परिषद की 17वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें सलाह दी गई थी कि जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम-अंतर्वस्तु प्राप्त की जाये। तदनुसार, जेयूए ने "अदीब" एवं "अदीब-ए-माहिर" का सिलेबस प्रस्तुत किया एवं उल्लेख किया कि सीबीएसई एवं एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों/ सिलेबसों के मार्गदर्शनों का उनके द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए अनुसरण किया जाता है।

शैक्षणिक परिषद ने विचार विमर्श के बाद अनुमोदित किया कि "अदीब-ए-माहिर" में उत्तीर्णता प्राप्त जामिया उर्दू अलीगढ़ के छात्रों को XII स्टैण्डर्ड के समतुल्य माना जाये तथा सिक्किम विश्वविद्यालय एवं इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के प्रति नामांकन के योग्य माना जाएगा बशर्ते कि यथानिर्धारित अन्य योग्यता मानदंडों, यदि कोई हो, की पूर्ति की जाती है।

एसी18.4.5: भारतीय साइन लेंग्वेज के विभाग की स्थापना

परिषद ने दिनांक 25 मई 2015 को आयोजित अपनी 17वीं बैठक में ऐसे विभाग की स्थापना की संभाव्यता पर विचार करने के लिए निम्नानुसार एक समिति गठित करने का निर्णय लिया था:

1. प्रो. पी सी प्रधान - अध्यक्ष
2. डॉ. शिलाजीत गुहा - सदस्य
3. डॉ. समर सिन्हा - संयोजक

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसपर परिषद द्वारा विचार किया गया। परिषद ने निम्नलिखित प्रेक्षण किया:

i) रिपोर्ट में 'साइन लेंग्वेज में डिग्री' एवं 'साइन लेंग्वेज के माध्यम से डिग्री' के बीच विभिन्नताओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए था;

ii) विभिन्न स्तरों पर साइन लेंग्वेज हेतु छात्रों के नामांकन के बारे में अथवा इस क्षेत्र में बधिर जनसंख्या के बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है।

तथापि, प्रायोगिक आधार के तौर पर, परिषद ने अनुमोदन किया कि नेपाली विभाग साइन लेंग्वेज में प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ कर सकता है।

एसी18.4.6: हिन्दी एवं एंथ्रोपोलोजी में एकीकृत बीए-एमए पाठ्यक्रमों की प्रस्तावना

परिषद ने, प्रो. समीरा मैती की अध्यक्षता एवं प्रो. बी प्रसाद, डॉ. के आर रामा मोहन, श्री दिनेश साहू एवं डॉ. धृति राय के सदस्य के रूप में समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, सैद्धान्तिक रूप से हिन्दी में बीए-एमए एकीकृत पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया। तथापि, हिन्दी में बीए-एमए एकीकृत पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन

के पूर्व, विश्वविद्यालय विभिन्न संभावनाओं एवं हिन्दी विभाग में संकाय की कमी का कड़ाई से मूल्यांकन करे। परिषद ने आगे समिति की एंथ्रोपोलोजी में बीए-एमए एकीकृत पाठ्यक्रम लागू न किए जाने की अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

एसी18.4.7: विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग स्थापित किया जाना

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 05 नवंबर 2014 को आयोजित इनकी 16वीं बैठक की सलाह के आधार पर, उन अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों से सूचनाएँ प्राप्त की गई जहां एमए संस्कृत प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। विस्तृत विवरण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित दो महाविद्यालय हैं जहां संस्कृत में शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु वे महाविद्यालय सिक्किम विश्वविद्यालय के साथ नहीं बल्कि संपूर्णानद विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध हैं, जो कि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। इस दृष्टि से, परिषद ने विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की स्थापना पर विचार करने के लिए कुछ समय तक इंतजार करने का निर्णय लिया।

एसी18.4.8: हिमालयन फार्मेसी संस्थान में पीएचडी प्रोग्राम की प्रस्तावना

इस विषय पर परिषद की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने के दौरान परिषद द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन के साथ एक समिति हिमालयन फार्मेसी संस्थान का निरीक्षण करेगी तथा एचपीए से पीएचडी प्रोग्राम की संबद्धता हेतु आवेदन की प्राप्ति पर पीएचडी प्रोग्राम आरंभ करने अथवा अन्यथा के लिए अपनी अनुशंसाएँ परिषद के समक्ष अगली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

सारणी मदें

एसी18.4.9: विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी प्रोग्राम के साथ निरंतरता की संभाव्यता

परिषद द्वारा दिनांक 25 मै 2015 को आयोजित इनकी 17वीं बैठक में डॉ. एन के पासवान की अध्यक्षता में गठित समिति ने अनुशंसा की कि विधि विभाग में बीए-एलएलबी के साथ निरंतरता संभाव्य नहीं है तथा शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से इसे समाप्त कर दी जाये। परिषद ने समिति की शैक्षणिक सत्र 2016-2017 से बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम की विछिन्नता की अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

प्रोग्राम की एकीकृत प्रकृति के कारण विधि विभाग के प्रति 10 संकाय पदों को आवंटित किया गया था जो कि नई परिस्थिति में 6 से अधिक संकाय पदों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतः अन्य पदों को दूसरे विभागों में आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। रिक्त संकाय पदों को तत्काल पुनरावंटित किया जा सकता है जबकि अन्य पदों को जबकभी वे रिक्त होते हैं दूसरे विभागों में पुनरावंटित किया जा सकता है तथा विधि विभाग के साथ 6 पदें, अर्थात 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 3 सहायक प्रोफेसर बनी रहेंगी। इस प्रभाव का एक प्रस्ताव समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

एसी18.4.10: परीक्षाओं के संचालन पर विनियमावली में लघु संशोधन

परीक्षा नियंत्रक ने इस मद को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात परीक्षा के संचालन पर विनियमावली के प्रति प्रस्तावित संशोधनों के अनुमोदन की अनुशंसा की।**(अनुलग्नक -2)**

एसी18.4.11: द्विवर्षीय एलएलएम प्रोग्राम हेतु सिलेबस

इस मद को डॉ. एन के पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान स्कूल एवं सुश्री डेंकिला भूटिया, प्रभारी, विधि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक सदस्य द्वारा द्विवर्षीय ड्राफ्ट एलएलएम सिलेबस हेतु कुछ सुझाव दिये गए। परिषद ने द्विवर्षीय एलएलएम पाठ्यक्रम हेतु सिलेबस का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया बशर्ते कि प्रो. श्रीवास्तव द्वारा सुझाए गए संशोधनों का परिपालन किया जाता है। डीन, सामाजिक विज्ञान स्कूल, ड्राफ्ट सिलेबस की एक प्रति प्रो. श्रीवास्तव को अग्रेषित करे तथा संगत सुझावों को अंगीकृत किए जाने पर विचार करे।

एसी18.4.12: नेपाली विभाग में एम फिल शोधपत्र हेतु बाह्य परीक्षकों का पैनल

परिषद ने मद पर विचार-विमर्श किया एवं सुझाव दिया कि वांछित डिग्री के साथ सभी सहायक प्रोफेसर एमफिल शोधपत्र मूल्यांकित करने के योग्य हैं।

भाग 5

प्राधिकारियों/ समितियों के कार्यवृत्त

इस भाग के मदों पर चर्चा आरंभ करने के पूर्व, अध्यक्ष ने स्कूल बोर्डों एवं अध्ययन के बोर्डों के अध्यक्षों के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ दी:

1. स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त में शैक्षणिक परिषद द्वारा विचारार्थ मदों को अलग से दर्ज करने की आवश्यकता है। सिर्फ स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त को ही शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ अग्रेषित किया जाये। विभागों के अध्ययन बोर्डों की बैठक के कार्यवृत्त शैक्षणिक परिषद के समक्ष अग्रेषित न किया जाये।
2. एमफिल एवं पीएचडी हेतु छात्रों का पंजीकरण स्कूल बोर्ड की सक्षमता के अधीन होता है अतः इसे शैक्षणिक परिषद के द्वारा अनुमोदन हेतु अनुशंसित न की जाये।
3. स्कूल बोर्ड/ अध्ययनों के बोर्ड बाह्य परीक्षकों के पैनल को शैक्षणिक परिषद के अनुमोदनार्थ अनुशंसित कर सकते हैं, परंतु पैनल मोहरबंद लिफाफे में प्रेषित किया जाये।
4. कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा कुछ छात्रों के प्रति एमफिल शोधपत्रों के प्रस्तुतीकरण की तारीख में विस्तार दिया गया है, परंतु उन तारीखों को स्पष्टता से उल्लेखित किए जाने की आवश्यकता है कि एमफिल शोधपत्रों के प्रस्तुतीकरण हेतु कब से कब तक का विस्तार प्रदान किया गया है।
5. शीर्षकों में परिवर्तन के लिए, स्कूल बोर्ड शैक्षणिक परिषद के प्रति अनुशंसा कर सकता है परंतु पूर्ववर्ती शीर्षक एवं अनुशंसित शीर्षक को प्रत्येक मामले में स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

6. स्कूल बोर्ड/ अध्ययनों के बोर्ड के कार्यवृत्त को अभिलेखित किए जाने के लिए, अध्यक्ष शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद के कार्यवृत्त को अभिलेखित करने के प्रारूप का संदर्भ ले सकते हैं तथा अपने कार्यवृत्त का अभिलेखन उसी पैटर्न में कर सकते हैं। अध्ययनों के बोर्ड/ स्कूल बोर्ड के सिर्फ अध्यक्ष बैठकों के कार्यवृत्त को हस्ताक्षरित कर सकते हैं क्योंकि सभी सदस्यों द्वारा एवं सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
7. अध्ययनों के बोर्ड/ स्कूल बोर्ड के प्रस्ताव को कार्यवृत्त में शब्दशः अभिलेखित करने के स्थान पर संक्षिप्त रूप में कार्यवृत्त में ही दर्ज किया जा सकता है।

तत्पश्चात विभिन्न प्राधिकारियों के कार्यवृत्त पर विचारार्थ चर्चा आरंभ की गई।

एसी18.5.1: महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 28 सितंबर 2015 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 28 सितंबर 2015 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा निम्नलिखित अनुशंसाओं का अनुमोदन किया:

1. सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रेनोक में मनोविज्ञान में यूजी प्रोग्राम की सत्र 2015-2016 से शुरुआत।
2. बी एससी कंप्यूटर साइंस हेतु सिलेबस श्रीमती रेबीका राई, सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं इसका अनुमोदन किया गया। **(अनुलग्नक-3)**
3. वर्ष 2015-16 में बीएड (50) एवं एलएलबी (60) में महाविद्यालयों में सीटों की वर्धित संख्या के साथ विनियामक निकायों एवं विश्वविद्यालय से अनुमोदन मांगे बगैर नामांकन किए जाने पर चर्चा की गई। परिषद ने इस मामले पर खिन्नता व्यक्त की, क्योंकि नामांकन विधिक रूप से समर्थनीय नहीं था तथा छात्रों के भविष्य को वास्तविक रूप से जोखिम में डाल सकता था।

4. यूजी पाठ्यक्रमों के लिए क्वेश्चन बैंक की स्थापना का अनुमोदन किया गया।

एसी18.5.2: जीव विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 14 अक्तूबर 2015 को आयोजित 3री बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/ अनुमोदित किया:

- होर्टीकल्चर विभाग के 5 छात्रों का पीएचडी सिनोप्सिस
- जीव विज्ञान के स्कूल के अंतर्गत सभी विभागों के लिए कम से कम छः महीने में एक बार पीएचडी छात्रों की रिपोर्ट;
- होर्टीकल्चर विभाग में यूजी एवं एमएससी पाठ्यक्रमों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षकगण। डीन, जीव विज्ञान स्कूल ने पहले ही इसे परीक्षा नियंत्रक के प्रति अग्रेषित कर दिया है।
- प्राणीशास्त्र में एमफिल/ पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य हेतु सिलेबस शैक्षणिक परिषद द्वारा दिनांक 25 मई 2015 को आयोजित इनकी बैठक में पूर्व में ही अनुमोदित किया गया है।

एसी18.5.3: भौतिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 10 अक्तूबर 2015 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/ अनुमोदित किया:

- 3 वर्षीय एमसीए सिलेबस **(अनुलग्नक-4)**
- भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विभाग के एमफिल छात्रों के लिए परीक्षकगण (खुली सूची)
- भूगोल में एमफिल/ पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य हेतु सिलेबस **(अनुलग्नक–5)**
- रसायनशास्त्र विभाग में 2 छात्रों के 2 एमफिल शोधपत्रों के शीर्षक में परिवर्तन

कंप्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग एवं विभिन्न संस्थानों के बीच प्रस्तावित एमओयू के लिए खेद व्यक्त किया गया क्योंकि प्रत्येक एमओयू पर अलग से विचार किया जाना है।

एसी18.5.4: सामाजिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 10 अक्तूबर 2015 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/ अनुमोदित किया:

- अर्थशास्त्र, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन, राजनीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग के एमफिल शोधपत्रों के लिए बाह्य परीक्षकों का पैनल
- शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग के 5 छात्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के 2 छात्रों के पीएचडी शोधप्रबंधों के लिए बाह्य परीक्षकों का पैनल
- शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन (3), अंतर्राष्ट्रीय संबंध (1), इतिहास (2), अर्थशास्त्र (1), समाजशास्त्र (6) विभाग के 13 पीएचडी सिनोप्सिस का अनुमोदन
- इतिहास विभाग के 3 छात्रों, शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग का 1 छात्र एवं अर्थशास्त्र विभाग से 1 छात्र के संबंध में एमफिल शोधपत्र के प्रस्तुतीकरण की तारीख में दिनांक 01.01.2016 से 31.07.2016 तक का विस्तार
- शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग के 3 छात्रों, समाजशास्त्र विभाग के 4 छात्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के 3 छात्रों के संबंध में पीएचडी सिनोप्सिस के प्रस्तुतीकरण की तारीख का विस्तार
- एमफिल एवं पीएचडी सिनोप्सिस के शीर्षकों में सुधार

एसी18.5.5: मानव विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 12 अक्तूबर 2015 को आयोजित 4थी बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/ अनुमोदित किया:

- भूगोल विभाग के 7 छात्रों के एमफिल एवं पीएचडी सिनोप्सिस (2 एमफिल एवं 5 पीएचडी)।
- भूगोल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एमफिल शोधपत्रों के लिए बाह्य परीक्षकों का पैनल
- मनोविज्ञान विभाग के 1 छात्र का पीएचडी सिनोप्सिस
- मनोविज्ञान विभाग के एमफिल शोधपत्रों के लिए बाह्य परीक्षकों का पैनल

एसी18.5.6: व्यावसायिक अध्ययनों के स्कूल बोर्ड की दिनांक 07 अक्तूबर 2015 को आयोजित 3री बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/ अनुमोदित किया:

- वाणिज्य विभाग से 2 एवं जन संचार विभाग से 4 - अनुसंधान प्रस्ताव
- स्कूल बोर्ड की अभ्युक्तियों के साथ अग्रेषित किए जाने के लिए जन संचार विभाग द्वारा "निर्वचन" पर 1-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया।

- एमएड पाठ्यक्रम का सिलेबस **(अनुलग्नक – 6)**
- पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन एवं सेवा उद्योग में डिप्लोमा को समाप्त किया जाना

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित हुई।

हस्ता.	**हस्ता.**
(टी के कौल)	**(टी बी सुब्बा)**
रजिस्ट्रार एवं सचिव	**कुलपति एवं अध्यक्ष**

अनुलग्नक-1

सिक्किम विश्वविद्यालय एवं एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के बीच अनुबंध

माननीय मुख्यमंत्री, श्री पावन चामलिंग द्वारा दिनांक 15 अगस्त 2015 को की गई लोक-वचनवद्धता का सम्मान करते हुए, सिक्किम विश्वविद्यालय, भविष्य में पूर्ववर्तिता के रूप में उदाहरण न दिये जाने योग्य दृढ़तापूर्वक एक बार के लिए छुट के तौर पर, एतदद्वारा सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग स्थित शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु भौतिकी (15), गणित (15), अर्थशास्त्र (20), अंग्रेजी (20) एवं इतिहास (20) में पीजी पाठ्यक्रमों के लिए एक विस्तार केंद्र संचालित करने को सहमत है, बशर्ते कि महाविद्यालय विकास परिषद, शैक्षणिक परिषद एवं कार्यकारी परिषद द्वारा इसकी संपुष्टि की जाती है तथा निम्नलिखित पर एचआरडीडी के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित होता है।

नामांकन एवं शुल्क मामले पर :

क. सीटों के ऊपरवर्णित आवंटन के अनुसार नामांकित किए जाने वाले छात्रगण सिक्किम विश्वविद्यालय (एसयू) के छात्र माने जाएँगे।

ख. छात्रों का नामांकन एचआरडीडी, सिक्किम सरकार के पर्यवेक्षण के अंतर्गत संचालित किया जाएगा, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन हेतु निर्धारित न्यूनतम मानदंडों का अनुसरण किया जाएगा।

ग. नामांकन के लिए इस प्रकार से चयनित प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय के प्रति यहाँ नीचे यथानिर्धारित शुल्क का भुगतान नामांकन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा :

i.	नामांकन शुल्क	रु.520
ii.	अंक पत्र शुल्क	रु.208
iii.	प्रमाण पत्र शुल्क	रु.312
iv.	परीक्षा शुल्क	रु.1040
v.	पंजीकरण शुल्क	रु.208
vi.	पुस्तकालय शुल्क	रु.520
vii.	पुस्तकालय परिचय पत्र	रु.104
	कुल	रु.2912

टिप्पणी: उपरोक्त शुल्क प्रोग्राम की सम्पूर्ण अवधि (दो वर्ष) के दौरान के लिए भुगतान किए जाने योग्य एक बार के शुल्क हैं। मासिक व्यय की गणना रु.121.33 के रूप में की गई है।

घ. ऊपरलिखित निर्धारित किए गए के अतिरिक्त, यदि कोई अन्य शुल्क यहाँ छात्रों से संग्रहीत किए जाते हैं तो इसे एसजीसी, तादोंग स्थित विस्तार केंद्र द्वारा उनके आंतरिक उपयोग हेतु प्रतिधारित किया जाएगा।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

ङ. कक्षाओं के संचालन हेतु (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार सैद्धान्तिक, व्यवहारिक एवं क्षेत्र कार्य / इंटर्नशीप, जैसा कि मामला हो) सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एसजीसी, तादोंग का होगा।

परीक्षाओं के संचालन पर :

च. एसजीसी, तादोंग तीन अनिवार्य आवधिक जांच-परीक्षाओं का संचालन करेगा, आवधिक जांच परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकण करेगा तथा छात्रों को अवार्ड किए गए अंकों का अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेगा, ताकि उनके परिणामों को संसाधित किया जा सके।

छ. इन छात्रों के सत्रावसान परीक्षा के संचालन का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। सत्रावसान परीक्षा के प्रश्न-पत्र का निर्माण एवं उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य परीक्षा के संचालन पर विश्वविद्यालय के वर्तमान नियमावली एवं विनियमावली द्वारा मार्गदर्शित होंगे।

ज. सभी शैक्षणिक मामलों के लिए विस्तार केंद्र के संबन्धित विभाग प्रमुख एसयू के वि. प्रमुखों से संपर्क करेंगे ताकि किसी स्तर पर कोई संदिग्धता न रहे।

झ. विस्तार केंद्र स्थित संबन्धित विभागों द्वारा अनुमोदित सिलेबस में से तथा एसयू के सीओई एवं एचओडी को सूचित करते हुए वैकल्पिक पेपर प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

य. अध्ययन की इस योजना में नामांकित छात्रगण उनके पाठ्यक्रमों की समाप्ति तक एसजीसी, तादोंग स्थित विस्तार केंद्र के छात्र बने रहेंगे।

ट. एसजीसी, तादोंग एसयू के सीओई के प्रति छात्रों की उपस्थिति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण सत्रावसान परीक्षा के आरंभ होने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व सुनिश्चित करेगा।

सुविधाओं एवं हकदारी पर :

ठ. इस विस्तार केंद्र के प्रति नामांकित छात्रगण विश्वविद्यालय पुस्तकालय का उपयोग करने के हकदार होंगे तथा सुविधाओं का उपयोग वैसे ही करेंगे जैसा कि विश्वविद्यालय में सीधे नामांकित छात्र करते हैं।

ड. तथापि, इस विस्तार केंद्र में नामांकित छात्र निम्नलिखित लाभों के प्रति हकदार नहीं होंगे :

i. एसयू द्वारा अपने छात्रों के लिए मेधा एवं साधनों के आधार पर अवार्ड की जाने वाली छात्रवृत्ति, निःशुल्कता एवं अर्ध-निःशुल्कता
ii. एसयू द्वारा निधि-प्रदत्त अध्ययन भ्रमण, इंटर्नशीप एवं क्षेत्र कार्य
iii. छात्रावास सुविधाएं
iv. सीआरएच, 5वां माइल स्थित चिकित्सकीय सुविधाएं

. विस्तार केंद्र में 5 पीजी विषयों को पढ़ाने वाले एसजीसी, तादोंग के संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के संगत विनियमावली के अंतर्गत वर्तमान में देय लाभों को छोड़कर, विश्वविद्यालय से किसी आर्थिक लाभ के योग्य नहीं होंगे।

उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमलोग, इस अनुबंध के प्राधिकृत निष्पादनकर्ता, सिक्किम विश्वविद्यालय, तादोंग में दिनांक 24 अगस्त 2015 को इस दस्तावेज़ पर अपना हस्ताक्षर एवं मोहर चिह्न डालते हैं।

(जितेंद्र राजे, भा.प्र.से.)
निदेशक, उच्चतर शिक्षा
एचआरडी विभाग
सिक्किम सरकार

(टी के कौल)
रजिस्ट्रार
सिक्किम विश्वविद्यालय

अनुलग्नक-2

आरई-01

परीक्षाओं के संचालन पर विनियमावली (में लघु परिवर्तन)

(ओसी-4 एवं ओसी-5 के अंतर्गत)

वर्तमान में विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
2. मूल्यांकन पद्धति: सत्रावधिक जांच परीक्षाएँ एवं सत्रावसान परीक्षाएँ :	**2. मूल्यांकन पद्धति: सत्रावधिक जांच परीक्षाएँ एवं सत्रावसान परीक्षाएँ:**
a. विश्वविद्यालय के या तो किन्हीं विभागों अथवा इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालय की सुविधाओं के प्रति नामांकित किसी छात्र को उन सभी सत्रावधिक जांच परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ेगा जो कि सेमेस्टर के दौरान सेमेस्टर सत्रावसान परीक्षा में बैठने के योग्य बनाने के लिए आयोजित किए जाएँगे।	a. विश्वविद्यालय के या तो किन्हीं विभागों अथवा इसके किसी सम्बद्ध महाविद्यालयकी सुविधाओं के प्रति नामांकित किसी छात्र को उन सभी सत्रावधिक जांच परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ेगा जो कि सेमेस्टर के दौरान सेमेस्टर सत्रावसान परीक्षा में बैठने के योग्य बनाने के लिए आयोजित किए जाएँगे।
b. साधारणतः, विश्वविद्यालय की सुविधाओं के प्रति नामांकित कोई छात्र जिन्होंने अपने सेमेस्टर सत्रावसान परीक्षा में बैठने के लिए विधिवत आवेदन किया है निम्न शर्तों को पूरा करने पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य माने जाएँगे कि संबंधित छात्र ने	b. साधारणतः, विश्वविद्यालय की सुविधाओं के प्रति नामांकित कोई छात्र जिन्होंने अपने सेमेस्टर सत्रावसान परीक्षा में बैठने के लिए विधिवत आवेदन किया है निम्न शर्तों को पूरा करने पर परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्य माने जाएँगे कि संबन्धित छात्र ने
i. विहित शुल्क का भुगतान किया है। एवं ii. कुल मिलाकर, उस सेमेस्टर के सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान दिए गए कुल व्याख्यानों में से कम से कम 75% में भाग लिया है जिसमें कि वह नामांकित किया गया/ की गई है।	i. विहित शुल्क का भुगतान किया है। एवं ii. कुल मिलाकर, उस सेमेस्टर के सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान दिये गए कुल व्याख्यानों में से कम से कम 75% में भाग लिया है जिसमें कि वह नामांकित किया गया/ की गई है।
c. निर्धारित 75% की उपस्थिति पूरा न कर पाने में असफल रहने की स्थिति में वह अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से संबन्धित दिन के प्रति अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रति लागू उपस्थिति मानदंड में आंशिक छुट हेतु आवेदन कर सकता/ सकती है जहां कि छात्र नामांकित है। परंतु यह इस शर्त पर होगा कि संबन्धित प्राधिकारी मामले की प्रामाणिकता से आश्वस्त होते हैं। वे उपस्थिति में अधिकतम 5% की छुट प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार से प्रदत्त छुट निर्धारित उपस्थिति मानदंड की क्षतिपूर्ति करता हो। संबन्धित छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। यदि इस प्रकार से प्रदान की गई छुट छात्र को परीक्षा में बैठने के योग्य बनाने में पर्याप्त नहीं होती है तो छात्र को उन पेपरों की अगले संगत सेमेस्टर में पुनरावृति करनी होगी जिनमें उन्हें अपर्याप्त उपस्थिति प्राप्त है।	c. निर्धारित 75% की उपस्थिति पूरा न कर पाने में असफल रहने की स्थिति में वह अपने विभाग प्रमुख के माध्यम से संबन्धित दिन के प्रति अथवा महाविद्यालय के प्राचार्य के प्रति लागू उपस्थिति मानदंड में आंशिक छुट हेतु आवेदन कर सकता/ सकती है जहां कि छात्र नामांकित है। परंतु यह इस शर्त पर होगा कि संबन्धित प्राधिकारी मामले की प्रामाणिकता से आश्वस्त होते हैं। वे उपस्थिति में अधिकतम 5% की छुट प्रदान कर सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार से प्रदत्त छुट निर्धारित उपस्थिति मानदंड की क्षतिपूर्ति करता हो। संबन्धित छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। यदि इस प्रकार से प्रदान की गई छुट छात्र को परीक्षा में बैठने के योग्य बनाने में पर्याप्त नहीं होती है तो छात्र को उन पेपरों की अगले संगत सेमेस्टर में पुनरावृति करनी होगी जिनमें उन्हें अपर्याप्त उपस्थिति प्राप्त है।
d. सभी नियमित छात्रों को सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तदनुसार किसी छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर के अंत तक दो सत्रावधिक जांच	d. सभी नियमित छात्रों को सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। तदनुसार किसी छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर के अंत तक दो सत्रावधिक जांच

एवं एक सेमेस्टर सत्रावसान परीक्षा में बैठना तथा विधिवत उत्तीर्ण करना वांछनीय है। इन सत्रावधिक जांच परीक्षाओं एवं सत्रावसान परीक्षा की संरचना नीचे यथाप्रदत्त होगी:

सत्रावधिक जांच/ सत्रावसान परीक्षा	कुल क्रेडिट
सत्रावधिक जांच – I	1
सत्रावधिक जांच – II	1
सत्रावधिक जांच – III/ प्रैक्टिकल	1
सत्रावसान परीक्षा	2

टिप्पणी: एसजीपीए की गणना के उद्देश्य से ली गई तीन सत्रावधिक जांच परीक्षाओं में से सर्वोत्तम दो पर विचार किया जाएगा।

तथापि, सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामले में निम्नलिखित, उपरोक्त के अपवाद स्वरूप लागू होंगे:

i. तीन सत्रावधिक जांच परीक्षाओं के स्थान पर दो ली जाएंगी तथा इन दो जांच परीक्षाओं में से एक जहां कहीं लागू हो प्रैक्टिकल जांच होगी ।
ii. ली जाने वाली दो सत्रावधिक जांच परीक्षाओं में से पहली निश्चित रूप से लिखित रूप में होगी।
iii. दूसरी सत्रावधिक जांच परीक्षा कार्य-आवंटन के स्वरूप में यथा-आवधिक पेपर पुस्तक-समीक्षा सामूहिक विमर्श अथवा यहाँ तक कि एक अन्य लिखित जांच परीक्षा के रूप में हो सकती है तथा इसमें लागू किए जाने का प्रारूप पाठ्यक्रम शिक्षक के विवेकाधीन होगा।
iv. द्वितीय सत्रावधिक जांच, प्रैक्टिकल अवयव वाले सभी विषयों/ पेपरों के लिए, सदैव ही निश्चित रूप से एक प्रैक्टिकल जाच होगी।
v. सभी दो सत्रावधिक जांच परीक्षाएँ अनिवार्य हैं जिन्हें उत्तीर्ण करने में असफल रहने एवं पर्याप्त उपस्थिति नहीं रहने पर छात्र के लिए बाद में पाठ्यक्रम की समाप्ति पर संगत सेमेस्टर में पुनरावृति अपरिहार्य होगी

e. सत्रावसान परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रत्येक पेपर/विषय में कुल अंक का 30.0% होगा। सत्रावसान प्रश्न-पत्र कुल 50 अंकों के लिए निर्धारित किया जाएगा

एवं एक सत्रावसान परीक्षा में बैठना तथा विधिवत उत्तीर्ण करना वांछनीय है। इन सत्रावधिक जांच परीक्षाओं एवं सत्रावसान परीक्षा की संरचना नीचे यथाप्रदत्त होगी :

सत्रावधिक जांच/ सत्रावसान परीक्षा	कुल क्रेडिट
सत्रावधिक जांच – I	1
सत्रावधिक जांच – II	1
सत्रावधिक जांच – III/ प्रैक्टिकल	1
सत्रावसान परीक्षा	2

टिप्पणी: एसजीपीए की गणना के उद्देश्य से ली गई तीन सत्रावधिक जांच परीक्षाओं में से सर्वोत्तम दो पर विचार किया जाएगा।

तथापि, सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामले में निम्नलिखित, उपरोक्त के अपवाद स्वरूप लागू होंगे:

i. तीन सत्रावधिक जांच परीक्षाओं के स्थान पर दो ली जाएंगी तथा इन दो जांच परीक्षाओं में से एक जहां कहीं लागू हो प्रैक्टिकल जाच होगी ।
ii. ली जाने वाली दो सत्रावधिक जांच परीक्षाओं में से पहली निश्चित रूप से लिखित रूप में होगी।
iii. दूसरी सत्रावधिक जांच परीक्षा कार्य-आवंटन के स्वरूप में यथा-आवधिक पेपर पुस्तक-समीक्षा सामूहिक विमर्श अथवा यहाँ तक कि एक अन्य लिखित जांच परीक्षा के रूप में हो सकती है तथा इसमें लागू किए जाने का प्रारूप पाठ्यक्रम शिक्षक के विवेकाधीन होगा।
iv. द्वितीय सत्रावधिक जांच, प्रैक्टिकल अवयव वाले सभी विषयों/ पेपरों के लिए, सदैव ही निश्चित रूप से एक प्रैक्टिकल जांच होगी।
v. सभी दो सत्रावधिक जांच परीक्षाएँ अनिवार्य हैं जिन्हें उत्तीर्ण करने में असफल रहने एवं पर्याप्त उपस्थिति नहीं रहने पर छात्र के लिए बाद में पाठ्यक्रम की समाप्ति पर संगत सेमेस्टर में पुनरावृति अपरिहार्य होगी

e. सत्रावसान परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रत्येक पेपर/ विषय में कुल अंक का 30.0% होगा। सत्रावसान प्रश्न-पत्र कुल 50 अंकों के लिए निर्धारित किया जाएगा

जिन्हें दो घंटे की समायावधि में उत्तर देना होगा। तथापि किसी सेमेस्टर को विधिवत उत्तीर्ण किया घोषित किए जाने के लिए पूर्णयोग अर्हक अंक, उस सेमेस्टर के कुल अंक का न्यूनतम 33.0% निर्धारित है।

f. जहां तक कि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (यूजी एवं पीजी दोनों) का संबंध है, आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन 30:70 के अनुपात में किया जाएगा जिसमें कि दो सत्रावधिक जांच परीक्षाएँ प्रत्येक 15 अंकों के लिए होगी। सत्रावसान परीक्षा में कुल अंक 70 अंकों का होगा।

g. जहां तक कि सामान्य पाठ्यक्रमों (यूजी एवं पीजी दोनों) का संबंध है, आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन 50:50 के अनुपात में किया जाएगा जिसमें दो सत्रावधिक जांच परीक्षाएँ प्रत्येक 25 अंकों की होगी। सत्रावसान परीक्षा में कुल अंक 50 अंकों का होगा।

h. साधारणतः, किसी छात्र को किसी सेमेस्टर में रोका नहीं जाएगा यहाँ तक कि यदि छात्र उस विशिष्ट सेमेस्टर में धारित कक्षाओं के 75% से कम में भाग लेता है एवं/अथवा सत्रावसान परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी हो जाता है बशर्ते कि छात्र को सेमेस्टरों की निर्धारित संख्या के अंतर्गत सभी पेपरों में उत्तीर्ण होना होगा जैसा कि विश्वविद्यालय नियत करता है। इसमें असफल रहने पर छात्र को 'फेल किया' घोषित किया जाएगा तथा उसे पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर से पुनः आरंभ करना होगा यदि वह अध्ययन जारी रखना चाहता हो।

i. अध्ययनों के नियमित यूजी, पीजी प्रोग्रामों के मामले में, डिग्री प्रदान किए जाने के योग्य होने के लिए पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं विधिवत उत्तीर्ण होने के लिए आवंटित सेमेस्टरों की अधिकतम संख्या क्रमशः 10(दस) एवं 6(छः) होगी। एकीकृत व्यवसायिक यूजी डिग्री पाठ्यक्रम के मामले में, छात्रों को उपयोग करने की अनुमति प्राप्त अतिरिक्त सेमेस्टरों की संख्या पाठ्यक्रम की पूर्णता के प्रति निर्धारित सेमेस्टरों की वास्तविक संख्या के ऊपर एवं अधिक 4 तक प्रतिबंधित होगी।

j. विश्वविद्यालय के किसी नियमित यूजी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी छात्र को अनिवार्यतः यहाँ ऊपरवर्णित खंड (i) में यथानिर्धारित सेमेस्टरों की नियत संख्या के अंतर्गत सभी निर्धारित पेपरों में उपस्थित होना होगा ताकि उन्हें किसी डिग्री हेतु अर्हताप्राप्त घोषित किया जा सके।

k. किसी नियमित यूजी पाठ्यक्रम में नामांकित कोई छात्र किसी ऑनर्स डिग्री हेतु योग्य होगा बशर्ते कि छात्र सभी निर्धारित 18 पेपरों में उपस्थित रहता है

जिन्हें दो घंटे की समयावधि में उत्तर देना होगा। तथापि किसी सेमेस्टर को विधिवत उत्तीर्ण किया घोषित किए जाने के लिए पूर्णयोग अर्हक अंक, उस सेमेस्टर के कुल अंक का न्यूनतम 33.0% निर्धारित है।

f. **किसी प्रैक्टिकल पेपर में न्यूनतम उत्तीर्णांक वही होगा जैसा कि सैद्धान्तिक पेपरों में है तथा प्रैक्टिकल पेपर में न्यूनतम विहित उत्तीर्णांक प्राप्त करने की अक्षमता अभ्यर्थी को उस पेपर में फेल बना देगी। प्रैक्टिकल पेपरों का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।**

l. जहां तक कि सामान्य पाठ्यक्रमों (यूजी एवं पीजी दोनों) का संबंध है, आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन 50:50 के अनुपात में किया जाएगा जिसमें दो सत्रावधिक जांच परीक्षाएँ प्रत्येक 25 अंकों की होगी। सत्रावसान परीक्षा में कुल अंक 50 अंकों का होगा।

g. साधारणतः, किसी छात्र को किसी सेमेस्टर में रोका नहीं जाएगा यहाँ तक कि यदि छात्र उस विशिष्ट सेमेस्टर में धारित कक्षाओं के 75% से कम में भाग लेता है एवं/अथवा सत्रावसान परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी हो जाता है बशर्ते कि छात्र को सेमेस्टरों की निर्धारित संख्या के अंतर्गत सभी पेपरों में उत्तीर्ण होना होगा जैसा कि विश्वविद्यालय नियत करता है। इसमें असफल रहने पर छात्र को 'फेल किया' घोषित किया जाएगा तथा उसे पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर से पुनः आरंभ करना होगा यदि वह अध्ययन जारी रखना चाहता हो।

h. अध्ययनों के नियमित यूजी, पीजी प्रोग्रामों के मामले में, डिग्री प्रदान किए जाने के योग्य होने के लिए पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं विधिवत उत्तीर्ण होने के लिए आवंटित सेमेस्टरों की अधिकतम संख्या क्रमशः 10(दस) एवं 6(छः) होगी। एकीकृत व्यवसायिक डिग्री पाठ्यक्रम के मामले में, छात्रों को उपयोग करने की अनुमति प्राप्त अतिरिक्त सेमेस्टरों की संख्या पाठ्यक्रम की पूर्णता के प्रति निर्धारित सेमेस्टरों की वास्तविक संख्या के ऊपर एवं अधिक 4 तक प्रतिबंधित होगी।

i. विश्वविद्यालय के किसी नियमित यूजी पाठ्यक्रम में नामांकित किसी छात्र को अनिवार्यतः यहाँ ऊपरवर्णित खंड (i) में यथानिर्धारित सेमेस्टरों की नियत संख्या के अंतर्गत सभी निर्धारित पेपरों में उपस्थित होना होगा ताकि किसी डिग्री हेतु अर्हताप्राप्त घोषित किया जा सके।

j. किसी नियमित यूजी पाठ्यक्रम में नामांकित कोई छात्र किसी ऑनर्स डिग्री हेतु योग्य होगा बशर्ते कि छात्र सभी निर्धारित पेपरों में उपस्थित रहता है

तथा चयनित ऑनर्स विषय में 45% अथवाअधिकके पूर्णयोग को प्राप्त करते हुए सेमेस्टरों की नियत संख्या के अंतर्गत सफलतापूर्वक इनमें उत्तीर्णता प्राप्त करता है। तथापि 45% से कम का पूर्णयोग अंक प्राप्त करने वाला परंतु सभी पेपरों में विधिवत उत्तीर्णता प्राप्त छात्र सिर्फ पास डिग्री मात्र के लिए योग्य होगा।

l. तथापि, छात्र को मात्र पास डिग्री अवार्ड किए जाने हेतु योग्य माना जाएगा बशर्ते कि छात्र ऐसे किसी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कुल 18 पेपरों मेंसे कम से कम 14 में विधिवत उत्तीर्णता प्राप्त करता है।

m. विश्वविद्यालय प्रत्येक पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा के अंत में एक समेकित अंक-पत्रक जारी करेगा जिसमें छात्र का एसजीपीए एवं अद्यतन सीजीपीए की स्थिति प्रदर्शित किया जाएगा। विश्वविद्यालय,छात्र द्वारा किए जा रहे अध्ययन के प्रोग्राम के अंत में अनुरोध किए जाने पर एक प्रतिलिपि भी जारी करेगा, जिसमें संबन्धित छात्र की प्रगति एवं तैयारी स्तर के बारे में विवरण होंगे।

n. राष्ट्रीय सेवा 2015 पुराने सेमेस्टर से लागू होकर विश्वविद्यालय में सभी यूजी पाठ्यक्रमों के लिए एक अनिवार्य गैर-क्रेडिट अथवा ऑडिट पेपर होगा। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम अन्य क्रेडिट पेपरों के विपरीत कोई लेटर ग्रेड अर्जित नहीं करेगा तथा अंक-पत्रक में सिर्फ 'संतोषजनक' अथवा 'असंतोषजनक' के रूप में दर्ज किया जाएगा।

o. अंतिम सेमेस्टर पेपरों में एक प्रयास में उत्तीर्णता प्राप्त करने में असफल किसी छात्र को उपरोक्त खंड (ई) एवं खंड (एफ) के प्रावधानों की शर्त पर अगले संगत सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण पेपरों की पुनरावृत्ति की अनुमति होगी तथा एक अथवा अधिक पेपरों जैसा की मामला हो की पुनरावृत्ति की अनुमति अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान दी जाएगी।

p. अपने परिणाम मेंअभिवृद्धि करने के इच्छुक छात्र इस पाठ्यक्रम की समाप्ती के बाद ही निर्धारित शुल्क का भुगतान करकेएवं इसके लिए विधिवत आवेदन करके ऐसा कर सकता है तथा अभिवृद्धि के इस अवसर का उपभोग किसी पाठ्यक्रम विषय में इस शर्त पर सिर्फ एक बार कर सकता है कि ऐसी अभिवृद्धि परीक्षा के परिणाम की गणना रैंक/मॉडेल के अवार्ड के प्रति अथवा विश्वविद्यालय के अधिकार में उपलब्ध किसी अन्यपारितोषिक के लिए नहीं की जाएगी।

q. किसी एक अथवा अधिक पेपरों की पुनरावृत्ति के लिए जैसा कि मामला हो संबन्धित छात्र के लिए उचित माध्यम से सीओई के कार्यालय को आवेदन करना आवश्यक होगा,एवं यदि पुनरावृत्ति परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त होती है तो उनके द्वारा परीक्षा के आरंभ होने के कम से कम एक सप्ताह पूर्व विहित शुल्क का भुगतान करना वांछित होगा।

तथा चयनित ऑनर्स विषयों में 45% अथवाअधिक के पूर्णयोग को प्राप्त करते हुए सेमेस्टरों की नियत संख्या के अंतर्गत सफलतापूर्वक इनमें उत्तीर्णता प्राप्त करता है। तथापि,45% से कमअंक प्राप्त करने वाला परंतु सभी पेपरों में विधिवत उत्तीर्णता प्राप्त छात्र सिर्फ पास डिग्री मात्र के लिए योग्य होगा।

l. तथापि, छात्रको मात्र पास डिग्री अवार्ड किए जाने हेतु योग्य माना जाएगा बशर्ते कि छात्र ऐसे किसी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित कुल 18 पेपरों मेंसे कम से कम 14 में विधिवत उत्तीर्णता प्राप्त करता है।

विश्वविद्यालय प्रत्येक पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा के अंत में एक समेकित अंक-पत्रक जारी करेगा जिसमें छात्र के एसजीपीए एवं अद्यतन सीजीपीए की स्थिति प्रदर्शित किया जाएगा। विश्वविद्यालय छात्र द्वारा किए जा रहे अध्ययन के प्रोग्राम के अंत में,अनुरोध किए जाने पर, एक प्रतिलिपि भी जारी करेगा जिसमें संबन्धित छात्र की प्रगति एवं तैयारी स्तर के बारे में विवरण होंगे।

राष्ट्रीय सेवा 2015 पुराने सेमेस्टर से लागू होकर विश्वविद्यालय में सभी यूजी पाठ्यक्रमों के लिए एक अनिवार्य गैर-क्रेडिट पेपर होगा। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम अन्य क्रेडिट पेपरों के विपरीत कोई लेटर ग्रेड अर्जित नहीं करेगा तथा अंक-पत्रक में सिर्फ संतोषजनक अथवा असंतोषजनक के रूप में दर्ज किया जाएगा।

m. अंतिम सेमेस्टर पेपरों मेंएक प्रयास में उत्तीर्णता प्राप्त करने में असफल किसी छात्र को उपरोक्त खंड (ई) एवं खंड (एफ) के प्रावधानों की शर्त पर अगले संगत सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण पेपरों की पुनरावृत्ति की अनुमति होगी तथा एक अथवा अधिक पेपरों जैसा कि मामला हो की अनुमति अंतिम सेमेस्टर के दौरान दी जाएगी।

n. अपने परिणाम मेंअभिवृद्धि करने को इच्छुक छात्र इस पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद ही निर्धारित शुल्क का भुगतान करके एवं इसके लिए आवेदन करके ऐसा कर सकता है तथा अभिवृद्धि के इस अवसर का उपभोग किसी पाठ्यक्रम विषय में इस शर्त पर सिर्फ एक बार कर सकता है कि ऐसी अभिवृद्धि परीक्षा के परिणाम की गणना रैंक/मॉडेल के अवार्ड के प्रति अथवा विश्वविद्यालय के अधिकार में उपलब्ध किसी अन्य पारितोषिक के लिए नहीं की जाएगी।

o. किसी एक अथवा अधिक पेपरों की पुनरावृत्ति के लिए जैसा कि मामला हो संबन्धित छात्र के लिए उचित माध्यम से सीओई के कार्यालय को आवेदन करना आवश्यक होगा,एवं यदि पुनरावृत्ति परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्राप्त होती है तो उनके द्वारा परीक्षा के आरंभ होने के कम से कम एक सप्ताह पूर्व विहित शुल्क का भुगतान करना वांछित होगा।

r. किसी नियमित यूजी पाठ्यक्रम हेतु अंतिम सेमेस्टर सैद्धान्तिक पेपरों में से प्रत्येक की परीक्षाएँ दो (2) घंटे की अवधि की होगी। किसी व्यवसायिक/एकीकृत यूजी पाठ्यक्रम हेतु अंतिम सेमेस्टर सैद्धान्तिक पेपरों में से प्रत्येक की परीक्षाओं की अवधि ढाई (2.5) घंटे की होगी। तथापि, व्यावहारिक पेपरों के लिए यह मानक मानदंडों के अनुसार होगी, जैसा कि संबन्धित विभागों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

s. विश्वविद्यालय विभागों के लिए अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की कार्यक्रम अनुसूची संबन्धित विभाग द्वारा प्रमुख/प्रभारी के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित एवं निर्मित की जाएगी तथा इसे परीक्षा आरंभ होने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व सीओई द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा। तथापि सीओई प्रत्येक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की कार्यक्रम अनुसूची तैयार करेंगे तथा परीक्षा आरंभ होने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व संबन्धित परीक्षा केन्द्रों के प्रति इसे अधिसूचित करेंगे।

t. सीओई सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न-पत्र, मूल्यांकन माध्यम एवं परीक्षा की तारीख महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों दोनों में समान हों बशर्ते कि पाठ्यक्रम, विषय एवं अवार्ड की जाने वाली डिग्री समान रहती हों।

u. गोपनीयता सुनिश्चित करने के प्रति, अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाएँ मूल्यांककों को सुपुर्द किए जाने के पूर्व कोडिकृत की जाएंगी।

r. किसी नियमित यूजी पाठ्यक्रम हेतु अंतिम सेमेस्टर सैद्धान्तिक पेपरों में से प्रत्येक की परीक्षाएँ दो (2) घंटे की अवधि की होगी। किसी व्यावसायिक/एकीकृत यूजी पाठ्यक्रम हेतु अंतिम सेमेस्टर सैद्धान्तिक पेपरों में से प्रत्येक की परीक्षाओं की अवधि ढाई (2.5) घंटे की होगी। तथापि, व्यावहारिक पेपरों के लिए यह मानक मानदंडों के अनुसार होगी,जैसा कि संबन्धित विभागों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

s. विश्वविद्यालय विभागों के लिए अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की कार्यक्रम अनुसूची संबन्धित विभाग द्वारा प्रमुख/प्रभारी के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित तथा निर्मित की जाएगी तथा इसे परीक्षा आरंभ होने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व सीओई द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा। तथापि सीओई प्रत्येक अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की कार्यक्रम अनुसूची तैयार करेंगे तथा परीक्षा आरंभ होने के कम से कम दो सप्ताह पूर्व संबन्धित परीक्षा केन्द्रों के प्रति इसे अधिसूचित करेंगे।

t. सीओई सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न-पत्र, मूल्यांकन माध्यम एवं परीक्षा की तारीख महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय विभागों दोनों में समान हों बशर्ते कि पाठ्यक्रम, विषय एवं अवार्ड की जाने वाली डिग्री समान रहती हों।

u. गोपनीयता सुनिश्चित करने के प्रति, अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाएँ मूल्यांककों को सुपुर्द किए जाने के पूर्व कोडीकृत की जाएंगी।

एनबी: उपरोक्त भाग-2 में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए, जहां कहीं भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों पर राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकारों यथा भारतीय बार काउंसिल (बीसीआई), भारतीय फार्मेसी काउंसिल (पीसीआई), राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद (एनसीटीई), राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) जैसा कि मामला हो, के मार्गदर्शनों का अनिवार्य अनुसरण लागू होता हो ऐसे पाठ्यक्रमों में परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसे मार्गदर्शनों का कड़ाई के साथ अनुपालन किया जाएगा जैसा कि संबन्धित विनियामक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। अधोलिखित पाठ्यक्रमों में परीक्षाओं के संचालन में संबन्धित राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकार द्वारा निर्धारित अनुबंधों का अनुसरण किया जाएगा। तदनुसार,

1. विधि पर सभी यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों के संबंध में पाठ्यक्रम संरचना, नामांकन मानदंड एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति पर भारतीय बार काउंसिल (बीसीआई) मार्गदर्शनों का अनुसरण किया जाएगा।
2. औषधीय अध्ययनों पर सभी यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों के संबंध में पाठ्यक्रम संरचना, नामांकन मानदंड एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति पर भारतीय फार्मेसी काउंसिल (पीसीआई) मार्गदर्शनों का अनुसरण किया जाएगा।
3. शिक्षक प्रशिक्षण पर सभी यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों के संबंध में पाठ्यक्रम संरचना, नामांकन मानदंड एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति पर राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण काउंसिल (एनसीटीई) मार्गदर्शनों का अनुसरण किया जाएगा।
4. बागवानी पर प्रस्तावित सभी यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों के संबंध में पाठ्यक्रम संरचना, नामांकन मानदंड एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) मार्गदर्शनों का अनुसरण किया जाएगा।
5. कंप्यूटर एवं आईटी संबन्धित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा पर प्रस्तावित सभी यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों के संबंध में पाठ्यक्रम संरचना, नामांकन मानदंड एवं अध्ययन के पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) मार्गदर्शनों का अनुसरण किया जाएगा।

जबकि इन पाठ्यक्रमों के लिए संबन्धित राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकारी के अनुबंधों का अनुसरण किया जाएगा, परन्तु विश्वविद्यालय अध्ययन के समवर्ती क्षेत्र में नामांकन प्रदान करने एवं/अथवा डिग्री अवार्ड करने के लिए स्वयं के मानकों को परिभाषित कर सकता है बशर्ते कि ऐसे मानक जैसा कि इस विश्वविद्यालय द्वारा उपबंधित किया जाता है, पाठ्यक्रम संरचना, शिक्षण बाध्यताएँ, नामांकन योग्यता, पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति एवं तत्सम्बद्ध ऐसे अन्य विषय जैसा कि संबन्धित विनियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है, के मामले में

	न्यूनतम निर्धारित अनुबंधों के साथ किसी प्रकार से कोई सम्झौता नहीं किया जाएगा। निर्धारित अनुबंधों का विश्वविद्यालय के मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि किसी विशिष्ट समय में लागू हो, के निर्वाचन में उठाने वाली किसी विसंगति के संबंध में, मामले को, सीओई के माध्यम से, कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे मामले में उनका निर्णय अंतिम होगा।

अनुलग्नक-3

बीएससी कंप्यूटर साइंस (3वर्ष) हेतु सिलेबस

सेमेस्टर ।			
कोड	**पेपर**	**क्रेडिट**	**विवरण**
सीएससी-यूजी-0101	कप्यूटर के मूल सिद्धान्त एव सी प्रोग्रामिंग	4	3टी+1पी
	इलेक्टिव ।	4	
	इलेक्टिव ।।	4	

सेमेस्टर ।।			
कोड	**पेपर**	**क्रेडिट**	**विवरण**
सीएससी-यूजी-0201	सी का उपयोग करके डेटा सरचना	4	3टी+1पी
	इलेक्टिव ।।।	4	
	इलेक्टिव IV	4	

सेमेस्टर ।।।			
कोड	**पेपर**	**क्रेडिट**	**विवरण**
सीएससी-यूजी-0301	आपरेटिंग सिस्टम एव डिजिटल डिजाइन	4	4टी
	इलेक्टिव V	4	
	इलेक्टिव VI	4	

सेमेस्टर IV			
कोड	**पेपर**	**क्रेडिट**	**विवरण**
सीएससी-यूजी-सी401	सी ++ एव जावा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग	4	2टी+2पी
सीएससी-यूजी-सी402	डिसक्रीट गणित	4	4टी
	कपल्सरी ।	4	

सेमेस्टर V			
कोड	**पेपर**	**क्रेडिट**	**विवरण**
सीएससी-यूजी-सी501	फॉर्मल लेगवेज़ एव ऑटोमेटा	4	4टी
सीएससी-यूजी-सी502	डेटाबेस प्रबधन प्रणाली	4	3टी+1पी
	कपल्सरी ।।	4	

सेमेस्टर VI			
कोड	**पेपर**	**क्रेडिट**	**विवरण**
सीएससी-यूजी-सी601	सॉफ्टवेयर इजीनियरी	4	3टी+1पी
सीएससी-यूजी-सी602	कप्यूटर नेटवर्क्स एव प्रोजेक्ट	4	
	कपल्सरी ।।।	4	

अनुलग्नक-4

सेमेस्टर I		
विषय कोड	**विषय का नाम**	**क्रेडिट**
एमसीए-पीजी-सी101	गणित I	4
एमसीए-पीजी-सी102	रणनीतिक प्रबंधन	4
एमसीए-पीजी-सी103	कंप्यूटर संघटन एवं आर्किटेक्चर	4
एमसीए-पीजी-सी104	डेटा संरचना एवं सी प्रोग्रामिंग	4
एमसीए-पीजी-एल105	कंप्यूटर संघटन एवं आर्किटेक्चर प्रयोगशाला	4
एमसीए-पीजी-एल106	डेटा संरचना प्रयोगशाला	4
	कुल क्रेडिट: 24	

सेमेस्टर 2		
विषय कोड	**विषय का नाम**	**क्रेडिट**
एमसीए-पीजी-सी201	गणित II	4
एमसीए-पीजी-सी202	पर्यावरणिक अध्ययन	4
एमसीए-पीजी-सी203	ऑपरेटिंग सिस्टम	4
एमसीए-पीजी-सी204	ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एवं डिजाइन यूजिंग जावा	4
एमसीए-पीजी-एल205	ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोगशाला	4
एमसीए-पीजी-एल206	अग्रिम जावा प्रयोगशाला	4
	कुल क्रेडिट: 24	

सेमेस्टर 3		
विषय कोड	**विषय का नाम**	**क्रेडिट**
एमसीए-पीजी-सी301	फॉर्मल लैंग्वेज एवं आउटोमेटा सिद्धान्त	4
एमसीए-पीजी-सी302	वित्तीय प्रबंधन	4
एमसीए-पीजी-सी303	डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली	4
एमसीए-पीजी-सी304	माइक्रोप्रोसेसर एवं माइक्रोकंट्रोलर	4
एमसीए-पीजी-एल305	डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली प्रयोगशाला	4
एमसीए-पीजी-एल306	हार्डवेयर डिजाइन प्रयोगशाला	4
	कुल क्रेडिट: 24	

सेमेस्टर 4		
विषय कोड	**विषय का नाम**	**क्रेडिट**
एमसीए-पीजी-सी401	बौद्धिक संपदा अधिकार एवं व्यवसायिक नीति	4
एमसीए-पीजी-सी402	सॉफ्टवेयर इंजीनियरी	4
एमसीए-पीजी-सी403	कंप्यूटर संघटन एवं आर्किटेक्चर	4
एमसीए-पीजी-सी404	डेटा संरचना एवं सी प्रोग्रामिंग	4
एमसीए-पीजी-एल405	कंप्यूटर संघटन एवं आर्किटेक्चर प्रयोगशाला	4
एमसीए-पीजी-एल406	डेटा संरचना प्रयोगशाला	4
	कुल क्रेडिट: 24	

सिक्किम विश्वविद्यालय कंप्यूटर एप्लीकेशन्स
विभाग एमसीए (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) हेतु
सिलेबस

सेमेस्टर 5		
विषय कोड	**विषय**	**क्रेडिट**
एमसीए-पीजी-डी501	शोधपत्र I	16
	इलेक्टिव I	4
	इलेक्टिव II	4
		कुल क्रेडिट: **24**

सेमेस्टर 6		
विषय कोड	**विषय**	**क्रेडिट**
एमसीए-पीजी-डी601	शोधपत्र II	24
		कुल क्रेडिट: **24**
		कुल एमसीए क्रेडिट: **144**

इलेक्टिव की सूची I		
विषय कोड	**विषय**	**क्रेडिट**
एमसीए-पीजी-ई502	क्लाउड कम्प्यूटिंग	4
एमसीए-पीजी-ई503	डिजिटल ईमेज प्रोसेसिंग	4
एमसीए-पीजी-ई504	क्रिप्टोग्राफ़ी एवं नेटवर्किंग	4
एमसीए-पीजी-ई505	कंप्यूटर ग्राफिक्स	4
एमसीए-पीजी-ई506	इंटरनेट ऑफ थिंग्स	4
एमसीए-पीजी-ई507	इम्बेडेड सिस्टम्स	4
	इलेक्टिव की सूची II	
एमसीए-पीजी-ई508	ओप्रेसन रिसर्च	4
एमसीए-पीजी-ई509	प्रबंधकीय अर्थशास्त्र	4
एमसीए-पीजी-ई510	फजी लॉजिक एवं एप्लीकेशन्स	4
एमसीए-पीजी-ई511	कंपलायर डिजाइन	4
एमसीए-पीजी-ई512	बीग डेटा एनालिटिक्स	4
एमसीए-पीजी-ई513	दस्तावेज़ प्रसंस्करण एवं सूचना पुनर्प्राप्ति	4

संक्षिप्ताक्षर: ई-इलेक्टिव, डी-डिसेर्टेसन

एमसीए503**डी एवं एमसीए601डी (शोधपत्र I** एवं **II)** को कंप्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन्स के क्षेत्र के प्रति प्रवर्तक तकनीकी अवदानों की आवश्यकता के समर्थन में डिजाइन किया गया है। पांचवें एवं छठे सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्रों को एक अथवा अधिक एसयू संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण में अभ्यर्पित/अनुमोदित किसी विषय पर एक शोध-प्रबंध पर कार्य करने की आवश्यकता पड़ती है।

शोधपत्र I कंप्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन्स के अभ्यर्पित विषय पर वर्तमान प्रगतियों की आलोचनात्मक समीक्षा पर अथवा छात्र द्वारा किसी अभिनव अवदान के साथ अंतरशास्त्रीय पृष्ठभूमि पर केन्द्रित हो सकता है। शोधपत्र को दो अंगों में विभाजित किया गया है: i) इंटर्नशीप प्रोग्राम**(क्रेडिट:04) ii) लघु/छोटी परियोजना/अनुसंधान (क्रेडिट:12) शोधपत्र II छात्र द्वारा अबतक किए गए अनुसंधान कार्य के आधार पर अभ्यर्पित विषय के सैद्धान्तिक एवं/अथवा व्यवहारिक कार्यान्वयन से जुड़ा होगा। छात्र अपने कार्य के निष्कर्षों को एससीआई/एससीआईई/एससीओपीयूएस द्वारा सूचीबद्ध/उसी महत्ता के कम से कम 1समकक्ष समीक्षित जर्नल में एवं/अथवा सम्मेलनों (आईईईई/एसीएम/उसी महत्ता) में अवश्य ही प्रकाशित अथवा संप्रेषित करना चाहिए। शोधपत्र के मूल्यांकन का सामी-समय पर संकाय द्वारा मानीटरण किया जाएगा। छात्र को खुली संगोष्ठी में अपने शोधपत्र के बचाव में सफाई देनी होगी।

विशेष परिस्थितियों में, विभाग छात्र को **शोधपत्र II** पर कार्य विश्वविद्यालय से बाहर करने की अनुमति दे सकता है। तथापि, इस मामले में **शोधपत्र I: 12 क्रेडिट हेतु परियोजना कार्य** विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही किया जाएगा तथा **शोधपत्र I एवं II** संबन्धित नहीं भी हो सकते हैं।

**इंटर्नशीप: चौथे सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र को ग्रीष्म स्कूल/शैक्षणिक भ्रमण/अल्पकालिक पाठ्यक्रम/औद्योगिक भ्रमण/आंतरिक परियोजना के अनुसार कम से कम 3 सप्ताह का इंटर्नशीप प्रोग्राम करना होगा। क्रेडिट अगले सेमेस्टर में विषय शोधपत्र I (एमसीए 503डी) में अंक के रूप में योजित किया जाएगा।

टिप्पणी: किसी विशिष्ट पाठचर्या के अंतर्गत उल्लेखित परियोजना अनिवार्य होगी तथा इसमें संबन्धित संकाय अथवा विभागीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विभागीय अंक सम्मिलित होंगे।

भूगर्भशास्त्र विभाग

भौतिक विज्ञान स्कूल

सिक्किम विश्वविद्यालय

पीएचडी प्रोग्राम हेतु पाठ्यक्रम कार्य

यह पाठ्यक्रम कार्य कुल तीन पाठ्यक्रमों को मिलाकर 12 क्रेडिटों का होगा जिनमें से दो अनिवार्य तथा एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम होंगे। पाठ्यक्रम कार्य की सफलतापूर्वक समाप्ति पर छात्रों द्वारा पीएचडी कार्य पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से एक शोध प्रबंध/ शोध-पत्र लिखा जाना आवश्यक होगा।

योग्यता अर्हता: मास्टर डिग्री स्तर पर भू-विज्ञान पर्यावरण विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान के किसी संगत विषय में कम से कम 55% अंकों (अथवा पॉइंट मापदंड में कोई समतुल्य ग्रेड जहांकहीं ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो) के साथ अच्छा शैक्षणिक अभिलेख

अनिवार्य पाठ्यक्रम की सूची:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
1.	जीईओएल-आरएस-सी101	अनुसंधान प्रविधि	4
2.	जीईओएल-आरएस-सी102	अनुसंधान प्रस्ताव निर्माण	4

वैकल्पिक पाठ्यक्रम की सूची:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम का शीर्षक	क्रेडिट
1.	जीईओएल-आरएस-ई103	संरचनात्मक भूगर्भशास्त्र में प्रगति	4
2.	जीईओएल-आरएस-ई104	खनिज अन्वेषन में अग्रिम तकनीकियाँ	4
3.	जीईओएल-आरएस-ई105	हाइड्रोलोजी में प्रगति	4
4.	जीईओएल-आरएस-ई106	आग्नेय पेट्रोनिर्माण में प्रगति	4
5.	जीईओएल-आरएस-ई107	मेटमोर्फिक जिओलोजी में प्रगति	4
6.	जीईओएल-आरएस-ई108	विश्लेषणात्मक भू-रसायनशास्त्र	4
7.	जीईओएल-आरएस-ई109	वायुमंडलीय प्रक्रियाएँ	4
8.	जीईओएल-आरएस-ई110	क्लास्टिक एवं कार्बोनेट सेड़िमेंटोलोजी	4
9.	जीईओएल-आरएस-ई111	क्रायोस्फेरिक साइंस	4
10	जीईओएल-आरएस-ई112	पर्यावरणिक भू-रसायनशास्त्र	4
11	जीईओएल-आरएस-ई113	पर्यावरणिक भूगर्भशास्त्र एवं जोखिम प्रबंधन	4
12	जीईओएल-आरएस-ई114	जिओक्रोनोलोजी एवं आइसोटोप जिओलोजी	4
13	जीईओएल-आरएस-ई115	जिओडाइनेमिक्स एवं नियोटेक्टोनिक्स	4
14	जीईओएल-आरएस-ई116	पूर्वी हिमालय का भूगर्भशास्त्र	4
15	जीईओएल-आरएस-ई117	इन्भर्टीब्रेट-भर्टीब्रेट जीवाश्मिकी एवं जीवाश्म-बनस्पतिशास्त्र	4
16	जीईओएल-आरएस-ई118	सूक्ष्मजीवाश्मिकी एवं खगोलजीवविज्ञान	4
17	जीईओएल-आरएस-ई119	अयस्क भूगर्भशास्त्र एवं धातुनिर्माण	4
18	जीईओएल-आरएस-ई120	पेलिओक्लाइमेटोलोजी	4
19	जीईओएल-आरएस-ई121	हाइड्रोकार्बन अन्वेषन में विकास	4
20	जीईओएल-आरएस-ई122	बेसिन अनालिसिस एवं सिक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी	4

सिक्किम विश्वविद्यालय
द्वि-वर्षीय एम एड सिलेबस की पाठ्यक्रम संरचना

सेमेस्टर-1					
पाठ्यक्रम कोड	**पाठ्यक्रम का शीर्षक**	**क्रेडिट**	**कुल अंक**	**आंतरिक अंक**	**बाह्य अंक**
एमएड-सीटी-101	लर्निंग एवं विकास का मनोविज्ञान	4	100	30	70
एमएड-सीटी-102	शिक्षा का इतिहास एवं राजनाइटिक अर्थशास्त्र	4	100	30	70
एमएड-सीटी-103	शैक्षणिक अध्ययन	4	100	30	70
एमएड-सीटी-104	अनुसंधान के प्रति परिचय	4	100	30	70
एमएड-पी-105	सम्प्रेषण एवं प्रतिपादक लेखन [1]	1	25*	25*	--
एमएड-पी-106	आत्मिक विकास [1]	1	25*	25*	--
		18	**400**	**120**	**280**
सेमेस्टर-II					
एमएड-सीटी-201	शिक्षा का दर्शनशास्त्र	4	100	30	70
एमएड-सीटी-202	शिक्षा का समाजशास्त्र	4	100	30	70
एमएड-सीटी-203	पाठचर्या अध्ययन	4	100	30	70
एमएड-सीटी-204	शिक्षक प्रशिक्षण-I	4	100	30	70
एमएड-सीटी-205	शोधपत्र-अनुषंधानों की समीक्षा, शिल्प, रणनीतियाँ एवं प्रॉबलम का चयन [2]				
एमएड-पी-206	टीईआई-प्रथम चरण में इंटर्नशीप [1]	4	100*	100*	--
		20	**400**	**120**	**280**
सेमेस्टर-III					
पाठ्यक्रम 301 से 304 में से किन्हीं दो विशेषज्ञताओं का चयन करें					
एमएड-ओटी-301	उच्चतर शिक्षा	4	100	30	70
एमएड-ओटी-302	मूल्य शिक्षा	4	100	30	70
एमएड-ओटी-303	शिक्षा में मूल्यांकन	4	100	30	70
एमएड-ओटी-304	किशोर शिक्षा	4	100	30	70
एमएड-सीटी-305	अनुसंधान विधियाँ (अग्रिम)	4	100	30	70
एमएड-सीटी-306	शिक्षक प्रशिक्षण-II	4	100	30	70
एमएड-सीटी-307	शोधपत्र-प्रस्ताव का निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण [2]				
एमएड-पी-308	शैक्षणिक लेखन [1]	2	50*	50*	--
		18	**400**	**120**	**280**
सेमेस्टर-IV					
पाठ्यक्रम 401 से 405 में से किन्हीं तीन विशेषज्ञताओं का चयन करें					
एमएड-ओटी-401	मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा	4	100	30	70
एमएड-ओटी-402	शांति शिक्षा	4	100	30	70
एमएड-ओटी-403	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	4	100	30	70
एमएड-ओटी-404	शैक्षणिक आयोजना एवं प्रबंधन	4	100	30	70
एमएड-ओटी-405	प्रतिभाशाली एवं सर्जनशील हेतु शिक्षा	4	100	30	70
एमएड-सीटी-406	शोधपत्र-क्षेत्र कार्य एवं प्रस्तुतीकरण [2]	8	200	60	140
एमएड-पी-407	टीईआई-द्वितीय चरण में इंटर्नशीप [1]	4	100*	100*	--
		24	**500**	**150**	**350**
	कुल योग अंक	**80**	**1700**	**510**	**1190**

सीटी- अनिवार्य थिओरी, ओटी- ओपन थिओरी, पी- प्रैक्टिकम

1 * - आंतरिक रूप से ग्रेड में मूल्यांकन किए जाने योग्य

2-शोधपत्र के अंकों एवं क्रेडिटों को सेमेस्टर II से सेमेस्टर IV तक विभाजित किया जाएगा। शोधप्रबंध कार्य दूसरे सेमेस्टर से आरंभ होगा तथा 60 अंकों में से इसके मूल्यांकन की निरंतरता सेमेस्टर II से आगे सेमेस्टर IV तक बनी रहेगी। चौथे सेमेस्टर के अंत में, शोधपत्र का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा 140 अंकों में से किया जाएगा जिसमें से शोध-प्रबंध के लिखित रूप में प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन 100 अंकों में से बाह्य परीक्षक द्वारा एवं 40 अंकों में से मौखिक जांच बाह्य एवं आंतरिक दोनों परीक्षकों द्वारा की जाएगी।

परीक्षा एवं मूल्यांकण

I. पेपर-वार मूल्यांकण योजना

सेमेस्टर / पेपर		सेम I			सेम II			सेम III			सेम IV			कुल योग		
		ईए	आईए	कुल	ईए	आईए	कुल	ईए	आईए	कुल	ईए	आईए	कुल	ईए	आईए	कुल
थिओरी एवं शोधपत्र	अनिवार्य	280	120	400	280	120	400	140	60	200	140	60	200	**840**	**360**	**1200**
	वैकल्पिक	-	-	-	-	-	-	140	60	200	210	90	300	**350**	**150**	**500**
प्रैक्टिकम	प्रैक्टिकम गतिविधियां	-	50*	50*	-	100*	100*	-	50*	50*	-	100*	100*	-	**300***	**300***
Total		**280**	**120**	**400**	**280**	**120**	**400**	**280**	**120**	**400**	**350**	**150**	**500**	**1190**	**510**	**1700**

ईए = बाह्य मूल्यांकन आईए =आंतरिक मूल्यांकन

* = प्रैक्टिकम का परिणाम (300 में से) ग्रेड के अनुसार अलग से अवार्ड किया जाएगा।

II.प्रैक्टिकम हेतु परिणाम अवार्ड किया जाना

प्रैक्टिकम का परिणाम (300 में से) ग्रेड के अनुसार अलग से निम्नानुसार अवार्ड किया जाएगा:

अंक % में	ग्रेड पॉइंट स्केल	ग्रेड	ग्रेड पॉइंट
90 एवं अधिक	9.0 एवं अधिक	ओ	10
80 – 89.99	8.0 – 8.9	ए+	9
70 – 79.99	7.0 - 7.9	ए	8
60 - 69.99	6.0 – 6.9	ए-	7
50 - 59.99	5.0 – 5.9	बी +	6
40 - 49.00	4.0 – 4.9	बी	5
30 – 39.99	3.0 – 3.9	बी -	4
20 - 29.99	2.0 – 2.9	सी +	3
10 - 19.99	1.0 – 1.9	सी	2
0 - 9.99	0.0 – 0.9	सी -	1

प्रतिशतता आंकड़े को 10 (दस) से विभाजन द्वारा ग्रेड पॉइंट प्राप्त किया जा सकता है। तथा जीआरडी पॉइंट को 10 (दास) से गुणा करके प्रतिशतता में परिणत किया जा सकता है।

किसी अभ्यर्थी को प्रैक्टिकम में उत्तीर्ण होने के लिए अलग से न्यूनतम **'बी'** ग्रेड प्राप्त करना आवश्यक होगा ताकि एमएड डिग्री हेतु अर्हता प्राप्त हो सके।

टिप्पणी: एमएड अभ्यर्थियों को जारी किए गए अंक पत्रक में परिणाम ग्रेड में एवं प्रैक्टिकम में अलग से **'ग्रेड पॉइंट'** के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।